कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा फरवरी, 2017 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. केंद्र सरकार में अखि ल भारतीय सेवा के अधि कारि यों की कमी को दूर करने के लि ए दि नांक 03.02.2017 को राज्यमंत्री (कार्मि क) की ओर से 19 राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रि यों को एक अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा गया, जि समें तीनों अखि ल भारतीय सेवाओं में राज्यवार कमी दर्शाई गई थी तथा उनसे केंद्रीय प्रति नि युक्ति पर तैनाती के लि ए पर्याप्त संख्या में अधि कारि यों को छोड़ने का अनुरोध कि या गया था।

2. वि भि न्न सेवाओं/पदों की रि क्ति यों को भरने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 में आयोजि त की जाने वाली प्रति योगी परीक्षा – सि वि ल सेवा परीक्षा के लि ए नि यम, दि नांक 22 फरवरी, 2017 की अधि सूचना सं. 13018/1/2017 – एआईएस (I) द्वारा सामान्य सूचना के लि ए प्रकाशि त कि ए गए थे।

3. सेवा में शामि ल परि वीक्षाधीन अधि कारि यों को इंदि रा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशि क्षण की अवधि के दौरान खुली प्रति योगी परीक्षा द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार में नि युक्ति के लि ए सि वि ल सेवा परीक्षा या कि सी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लि ए भारतीय वन सेवा (परि वीक्षा) नि यमावली, 1968 को दि नांक 15.02.2017 की अधि सूचना द्वारा संशोधि त कि या गया।

4. भारतीय पुलि स सेवा – हरि याणा तथा गुजरत संवर्ग की संवर्ग समीक्षा दि नांक 01.02.2017 को अधि सूचि त की गई।

5. भारतीय वन सेवा – नागालैंड संवर्ग तथा भारतीय वन सेवा – गुजराज संवर्ग की संवर्ग समीक्षा क्रमश: दि नांक 27.02.2017 तथा 28.02.2017 को अधि सूचि त की गई।

6. एयर मार्शल (सेवानि वृत) ए.एस. भोंसले तथा श्रीमती सुजाता मेहता को दि नांक 22.02.2017 – स्था.(ख) के वि भाग के आदेश संख्या 39019/04/2016 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नि युक्त कि या गया था।

7. केंद्रीय सार्वजनि क क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नि युक्ति यों से संबंधि त दि शानिर्देशों का सारांश दि नांक 23 फरवरी, 2017 के अर्द्धसरकारी पत्र सं. 28/43(ईओ)/2013-एसीसी के माध्यम से अद्यति त कर सभी प्रशासनि क मंत्रालयों/वि भागों को वि तरि त कि या गया। अद्यति त सारांश को कार्मि क

और प्रशि क्षण वि भाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दि या गया है जि से (http://dopt.gov.in./notification/oms-and-orders) लिंक पर देखा जा सकता है।

8. इस वि भाग ने दि नांक 17 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/6/2016-स्था (वेतन-।।) द्वारा दि नांक 17 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-(वेतन-।।) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में मंत्रालयों/वि भागों/उधार पर सेवाएं लेने वाले संगठनों को प्रति नि युक्ति अवधि को एक बार में 7 वर्ष की अवधि तक के लि ए वि स्तारि त करने की शक्ति यां प्रदान की। इसके अति रि क्त, दि नांक 23 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/6/2016-स्था.(वेतन-।।) द्वारा यह स्पष्ट कि या गया कि प्रति नि युक्ति 'ड्यूटी) भत्ता की देयता केवल दि नांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.3.2 के अनुसार, अर्थात् केवल पांचवें वर्ष तक होगी, यदि प्रति नि युक्त अधि कारी ने प्रति नि युक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का वि कल्प चुना है।

9. कार्मि क और प्रशि क्षण वि भाग ने आधार (वि त्तीय और अन्य सब्सि डी, लाभ और सेवाओं का लक्षि त वि तरण) अधि नि यम, 2016 की धारा 7 के अनुपालन में दि नांक 15/02/2017 की अधि सूचना सं. 1194940/सीडब्ल्यूओ/2016-डीबीटी सेल द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के अन्तर्गत वि भि न्न स्कीमों की सूची प्रकाशि त की।

10. इस वि भाग के दि नांक14 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/1/2011- नि देशक (कैंटीन) द्वारा गैर-सांवि धि क वि भागीय जलपानगृह के कर्मचारि यों के बच्चों के लि ए जलपानगृह नि देशक की वि चाराधीन नि धि से चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति स्कीम को संशोधि त कि या गया।

11. दि नांक 9 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन 31011/03/2015-स्था.(प्रशा.IV) द्वारा ऐसे मामलों जहां कोई सरकारी सेवक नजदीकी एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस टर्मि नल तक एलटीसी पर अधि कृत परि वहन के साधन से यात्रा करता है तथा घोषि त स्थान के भ्रमण की शेषयात्रा नि जी परि वहन/स्व-प्रबंध (जैसे व्यक्ति गत वाहन अथवा नि जी टैक्सी आदि द्वारा) करता है, के संबंध में कार्रवाई करने के लि ए प्रक्रि यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने पर अनुदेश जारी कि ए गए।

12. भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दि ल्ली के सहयोग से कार्मि क और प्रशि क्षण वि भाग द्वारा सीवीसी, सतर्कता भवन, नई दि ल्ली में दि नांक 15.02.2017 को रक्तदान शि वि र आयोजि त कि या गया तथा इस शि वि र में 52 कर्मचारि यों ने रक्तदान कि या।

13. स्वैच्छि क सेवानि वृति से संबंधि त अखि ल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नि यमावली, 1958 में संशोधन को दि नांक 27.02.2017 की अधि सूचना द्वारा अधि सूचि त कि या गया।

14. इस वि भाग के दि नांक 10.02.2017 की अधि सूचना सं. 39019/05/96-स्था.(ख)(भाग-IV) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों को संशोधि त करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) वि नि यमावली, 1969 में संशोधन।

15. सातवें वेतन आयोग की सि फारि शों के क्रि यान्वयन से पैदा होने वाली वि संगति यों को दूर करने के लि ए दि नांक 02.02.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा वि संगति समि ति की स्थापना का आदेश जारी कि या गया है।

16. परवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मध्य राज्य संवर्ग के कर्मचारि यों (भारतीय प्रशासनि क सेवा के अधि कारि यों से भि न्न) के आबंटन के लि ए श्री सीआर कमलानाथन की अध्यक्षता वाली सलाहकार समि ति के कार्यकाल को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 3 माह की अति रि क्त अवधि अर्थात 31 मार्च, 2017 तक के लि ए बढ़ा दि या गया है। सलाहकार समि ति ने सभी 90 वि भागाध्यक्षें के संबंध में अंति म आबंटन की जांच तथा सि फारि श कर दी है तथा 90 वि भागों के लगभग 56000 कर्मचारि यों (कुछ श्रेणि यों को छोड़कर जहां माननीय उच्च न्यायालय/आंध्र प्रदेश प्रशासनि क अधि करण ने कर्मचारि यों के संभावि त/अंति म आबंटन पर 'अंतरि म रोक' लगायी है) के संबंध में अंति म आबंटन आदेशों को जारी कर दि या है।

17. सीसीएससीएसबी ने बैडमिंटन, टेबल टेनि स तथा फि टनेस केंद्र के लि ए भारतीय खेल प्राधि करण की सुवि धाओं का प्रयोग करने के लि ए "आओ और खेलो" योजना को नि यमि त आधार पर जारी रखा है।

18. मंत्रि मंडलीय नि युक्ति समि ति 'एसीसी) ने केंद्रीय सार्वजनि क क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में वि भि न्न अनुसूची क और ख में 01 अध्यक्ष सह प्रबंध नि देशक/प्रबंध नि देशक तथा कार्यकारी नि देशकों की नि युक्ति को मंजूरी दी है। इसके अति रि क्त, वि भि न्न अधि करणों/सांवि धि क नि कायों/प्राधि करणों/आयोगों में छह (06) अध्यक्षों/सदस्यों की नि युक्ति यों, स्वायत नि कायों में तीन (03) मुख्य कार्यकारि यों की नि युक्ति यों, मंत्री जी के लि ए एक (01) वैयक्ति क सहायक की नि युक्ति के लि ए प्रस्ताव तथा मंत्री जी के लि ए एक (01) वि शेष कार्य अधि कारी (ओएसडी) की नि युक्ति के लि ए प्रस्ताव तथा एक (01) अधि कारी को मुख्य सर्तकता अधि कारी (सीवीओ) के रूप में नि युक्ति के प्रस्ताव को मंत्रि मंडलीय नि युक्ति समि ति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

19. फरवरी, 2017 के अन्त तक 1749 लोक प्राधि करणों को कार्मि क और प्रशि क्षण वि भाग के सूचना का अधि कार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दि या गया है।